Recd. on 07-04-2022

समक्ष :: वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–द्वितीय (खण्डपीठ) गाजियाबाद।

उपस्थित :: श्री कुनाल वेपा, एच0जे0एस0 ..... न्यायिक सदस्य।
:: श्री ओ0पी0 सिंह, ... विभागीय सदस्य।

द्वितीय अपील सं0–404/2017 (2010–11) प्रान्तीय वैट अधिनियम की धारा–28(2)

कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0। ..... अपीलार्थी।

बनाम

सर्वश्री फोर्जिंग स्टील इण्डिया, बी–22/14, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद। ..... प्रत्यर्थी।

विभाग की ओर से :: श्री संजय कुमार मिश्रा :: डि0क0/रा0प्र0।
व्यापारी की ओर से :: श्री मधुकर गुप्ता :: अधिवक्ता।

–:: निर्णय ::–

श्री ओ0पी0 सिंह, सदस्य।

विभाग द्वारा यह अपील श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (अपील) पंचम, वाणिज्य कर गाजियाबाद द्वारा प्रथम अपील सं0–323/2014 (2010–11) उ0प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा–28(2) प्रान्तीय में पारित निर्णय दिनॉक 28–02–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसे स्वीकार करते हुए विवादित कर समाप्त किया गया है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत द्वितीय अपील में विवादित कर रू0 4,25,552.00 है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यापारी आयरन स्टील, स्टील सेमी राऊण्ड, ब्लूम इन राऊण्ड सेफ के निर्माण बिकी हेतु पंजीकृत हैं। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष हेतु दाखिल विवरणी की जॉच पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा टैक्स इन्वाइस संख्या–9 दिनॉक 09–07–2010 से 'Rough Iran Steel Blanks (Round and ring as per size) की बिकी की गयी। यह वस्तु केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम की धारा–14 से आच्छादित नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कस्टमर के द्वारा दिये गये साईज के अनुरूप सेमी प्रोसेस मशीनरी, मशीनरी पार्ट्स की बिकी मानते हुए 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपील योजित की गयी। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त अपील स्वीकार की गयी तथा विवादित कर समाप्त किया गया। इसी अपीलीय निर्णय से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा प्रश्नगत द्वितीय अपील योजित की गयी है।

विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य प्रतिनिधि ने अपील आधार में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलीय निर्णय को अनुचित एवं अविधिक बताते हुए कथन किया गया कि संगत वर्ष के माह सितम्बर में टैक्स इन्वाइस संख्या–15 दिनॉक 04–09–2010, इन्वाइस संख्या–16 व 17 दिनॉक 06–09–2010 में मशीनरी पार्ट्स दर्शित है, जो आयरन स्टील के अन्तर्गत नहीं आता है तथा इन पर मशीनरी की भॉति 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है। इस सम्बन्ध में व्यापारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्पष्टीकरण में रफ फोर्जिंग स्टील का निर्माण कर बिकी किया जाना माना गया है, मशीनरी की कोई बिकी नहीं मानी गयी है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कस्टमर को एज पर साईज व डिजाइन के अनुसार मशीनरी पार्ट्स की बिकी की गयी है आयरन स्टील की कोई बिकी नहीं की गयी है। कथन किया गया कि व्यापारी द्वारा 'Rough Iran Steel Blanks (Round and ring as per size) की बिकी की गयी है। ये वस्तुऐं केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम की धारा–14 से आच्छादित नहीं हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉच पर पाया गया कि कस्टमर के दिये गये साईज के अनुरूप व्यापारी द्वारा सेमी प्रोसेस्ड कर मशीनरी की जो रू0 44,79,500.00 की बिकी की गयी है उस पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष व्यापारी द्वारा जो टैक्स इन्वाइस बुक प्रस्तुत की गयी, उस पर स्वंय उनके द्वारा 'SPECIALIST IN : Roling mill rol, gears for pinion boxes, shaft, ringand opin die forgings its." प्रिन्ट कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा मशीनरी का निर्माण एवं बिकी की जाती है जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रान्तीय में जो रू0 4,25,552.00 की कर मॉग सृजित की गयी, जिसे व्यापारी द्वारा प्रथम अपील में विवादित माना गया है, उसे विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समाप्त किया जाना विधिवत् नहीं है। उपरोक्त आधार पर विद्वान राज्य प्रतिनिधि ने अपीलीय निर्णय को अपास्त करते हुए विभागीय अपील स्वीकार किये जाने एवं कर निर्धारण आदेश को पुर्नस्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

व्यापारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपील निर्णय को तथ्यों के अनुरूप एवं विधिक रूप से उचित बताते हुए कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं लेखा पुस्तकों की बिना गहनता से जॉच किये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी है। व्यापारी मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स का न तो निर्माता है और न ही ट्रेडर्स है। व्यापारी मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स के निर्माण व खरीद बिकी हेतु पंजीकृत नहीं है। कर निर्धारण

अधिकारी द्वारा इन्वाइस में उल्लिखित विभिन्न शेप व मोटाई के फोर्जिंग को गलत समझते हुए एवं उसे मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स मानते हुए उस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इन्वाइस पर "Round and ring as per size" लिख देने मात्र से उक्त वस्तु मशीनरी व मशीनरी पार्ट्स नहीं बन जाती। इस सम्बन्ध में अपीलीय निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0सी0टी0 बनाम आनन्द इण्टरनेशनल के वाद में फोर्जिंग की दी गयी परिभाषा का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि फोर्जिंग आईटम "Round and ring as per size" वह आयरन है जो कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत आता है न कि मशीनरी व मशीनरी पार्ट्स। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि व्यापारी द्वारा मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स की कोई निर्माण एवं खरीद बिक्री की गयी है। व्यापारी के बिगत एवं आगे के वर्षो में भी आयरन स्टील की खरीद बिक्री मानते हुए करदेयता निर्धारित की गयी है। उपरोक्त आधार पर विद्वान अधिवक्ता ने कर निर्धारण आदेश को त्रुटिपूर्ण एवं अपीलीय निर्णय को साक्ष्यों एवं विभिन्न न्यायिक निर्णयों से समर्थित होना बताते हुए उसकी पुष्टि किये जाने एवं विभागीय अपील को अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

हमने उभय पक्षों को सुना, अभिलेखों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण पर विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष अंकित किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल टैक्स इन्वाइस संख्या–9 दिनॉक 09–07–2010 इन्वाइस एवं बुक पर 'Rough Iran Steel Blanks (Round and ring as per size) उल्लिखित होने के आधार व्यापारी द्वारा बिक्रीत वस्तुओं को सेमी प्रोसेस मशीनरी व मशीनरी पार्ट्स मानते हुए करदेयता निर्धारित की गयी है जबकि व्यापारी द्वारा उक्त की बिक्री आयरन स्टील मानते हुए करदेयता 04 प्रतिशत से स्वीकार की गयी है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों इन्वाइस बुक एवं संगत वर्ष एवं वाद के पारित कर निर्धारण आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर व्यापारी द्वारा मशीनरी व मशीनरी पार्ट्स की बिक्री एवं ट्रेडिंग का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा यह पाया गया है कि व्यापारी को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है कि व्यापारी आयरन स्टील, स्टील सेमी राऊण्ड सेफ आदि के निर्माण बिक्री के लिए पंजीकृत किया गया है। व्यापारी के विरूद्ध कभी भी मशीनरी पार्ट्स की बिक्री किया जाना नहीं पाया गया। व्यापारी की लेखापुस्तकों को मान्यता देते हुए पूर्व एवं आगामी वर्षो में आयरन एण्ड स्टील कही खरीद बिक्री को मान्यता दी गयी है। व्यापारी द्वारा स्टील फोर्जिंग का कार्य किया जाना प्रमाणित पाया गया है। अपीलीय निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सी0सी0टी0 बनाम आनन्द इण्टरनेशनल 1989–एस0टी0आई0 में फोर्जिंग्स की दी गयी परिभाषा में यह माना गया है कि लोहे को एक निश्चित रूप में ढालना ही फोर्जिंग का स्वभाव है। 'As per size' से तात्पर्य आयरन स्टील का निश्चित साईज एवं शेप में कर देना ही फोर्जिंग है। अतः फोर्जिंग रिटर्न में (Round and ring as per size) या अन्य आईटम केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत परिभाषित श्रेणी में आती है। अतः विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के निष्कर्ष को उचित होना न पाते हुए व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जो विवादित कर समाप्त किया गया है, उसमें हमारे निष्कर्ष में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं होती है। विभाग की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर प्रथम अपीलीय निर्णय को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप किया जा सके। तद्नुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–: **आदेश** :–

विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सं0–404/2017 (2010–11) प्रान्तीय धारा–28(2) अस्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 28–02–2017 की पुष्टि की जाती है।

Sd 26/03/22

(कुनाल वेपा)
न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,
गाजियाबाद पीठ–प्रथम, गाजियाबाद।

Sd 26/03/22

(ओ0पी0 सिंह)
सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,
गाजियाबाद पीठ–द्वितीय, गाजियाबाद।

दिनॉक :: गा0बाद :: 26 मार्च, 2022.

:: सुनील शर्मा ::

पत्रांक 238 दिनांक 28/3/22
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित
(1) वादी
(2) प्रतिवादी
(3) व्यापार कर अधिकारी
4) सहायक आयुक्त (न्याय)
[illegible]

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]